न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)जे०एम० जलेसर, एटा।
परिवाद संख्या- 01 सन् 2018
अर्जुन सिंह ----बनाम---- श्रीमती चन्द्रमुखी आदि

<u>18.02.2021</u>

पत्रावली पेश हुयी। बार बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त परिवाद परिवादी के साक्ष्य धारा 202 द.प्र.सं. हेतु विगत कई तिथियों से नियत चली आ रही है किन्तु ना तो परिवादी हाजिर आ रहा है ना ही कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं ना ही उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है ना ही कोई अधिवक्ता ही आ रहे है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त परिवाद में अब कोई रूचि नहीं रही है। परिवादी के अनुपस्थित रहने व पत्रावली पर विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने की दशा में, परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)जे०एम०
जलेसर, एटा।